न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 06 / 2017

उनवान

मृतक भोगीलाल पिता कचरू जाति सुथार निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा के विधिक वारिसानः–

(1) दिलीप कुमार पिता स्व0 श्री भोगीलाल सुथार निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

–: वादी

बनाम

(1) शंकर पिता कुरीया जाति भील निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
(2) गजेंग पिता मंगु जाति भील निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
(3) हुका पिता खातरा जाति भील निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
(4) देवा पिता कचरू जाति भील निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
(5) गटु पिता कचरू जाति भील निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
(6) भरत पिता भीखा जाति भील निवासी नाहली तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
(3) तहसीलदार, गढ़ी हाल तहसीलदार अरथूना जिला बांसवाड़ा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19 .12.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 1222 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 6153 / 1223 रकबा 0.04 हे0 वाके ग्राम नाहली तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज0) में स्थित है। वादी अपनी उक्त भूमि का वर्षो से उपयोग एंव अपभोग करता चला आ रहा है लेकिन करीब 02 माह पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि में अतिक्रमण कर पत्थर डालकर कब्जा कर लिया है तथा वादी को अपनी भूमि पर जाने नही दे रहे है। प्रतिवादीगण का वादी के स्वामित्व की उक्त भूमि पर कोई हक एंव अधिकार नही है। फिर भी बाहुबल के आधार पर प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। जिसे आज्ञापक आदेश हटाया जाना आवश्यक है। वादी जब भी मौके पर जाता है, प्रतिवादीगण लड़ाई–झगड़ा करते हुए ऐट्रोसिटी के केस में फसाने की धमकिया देते है। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा है तथा वादी एक वृद्ध व्यक्ति होकर उनका सामना करने में सक्षम नही है। इसी का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी की भूमि को हड़पने आमादा है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण अतिक्रमण हटाने राजी नही है एंव धमकिया दे रहे है। जिस वजह से वादी द्वारा वास्ते हटाने अतिक्रमण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से किसी के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी की साक्ष्य के रूप में श्री दिलीप कुमार का शपथ [illegible] होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस [illegible] गई। बहस पर मनन करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न अभिलेख, साक्ष्य का संक्षिप्त अवलोकन [illegible] पर पाया गया कि मौजा नाहली पटवार हल्का नाहली की खाता संख्या 151 (नई) [illegible] (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1222 रकबा 003हे0, सर्वे नम्बर 6153 / 1223 रकबा 0.04 हे0 कुल किता दो रकबा 0.07 हे0 भूमि का वादी खातेदार है। वादी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से पत्थर डाल कर वादी की भूमि में कब्जा करने का कृत्य किया जा रहा है। जो वादी के संवैधानिक अधिकारो के विपरित है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:33:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (भूमिधारी) अलपूरा को निर्देशित किया जाता है कि यदि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल करें।

(रामचन्द्र [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (भूमिधारी) अलपूरा को निर्देशित किया जाता है कि यदि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल करें। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.20[illegible] को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:33:19 IST
Reason: SelfAttested